HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13120/2026
CNR: RJHC020806382026 | URN: CRLMB / 24250U / 2026

Vijay Singh S/o Shri Lalluram Yadav, R/o Village Machdi, Police Station Akbarpur, District Alwar, Rajasthan Presently Confined In Central Jail Jaipur.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajesh Maharshi
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh,PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

30/10/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र **पुलिस थाना–अकबरपुर जिला–अलवर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **61/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 317(2) (4), 318(2) (4), 112 (2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66, 66–डी आई.टी.एक्ट में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उस पर यह आक्षेप है कि उसने साईबर ठगी के लिए अपना बैंक खाता सहअभियुक्त शैलेन्द्र कुमार सैनी उर्फ शन्टी को उपयोग करने के लिए दिया और उसें साईबर ठगी की राशि प्राप्त की। उनका तर्क है कि उसके खाते में जो राशि प्राप्त होना बताया गया है, यह राशि सहअभियुक्त शैलेन्द्र के खाते में अंतरित हुई है, जैसा कि अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान के उपरांत दिए गये अपने निष्कर्ष में भी अंकित किया है। उनका तर्क है कि उक्त बैंक खाता सहअभियुक्त शैलेन्द्र ही संचालित किया जाना अनुसंधान में आया है

और सहअभियुक्त का मोबाईल फोन ही इस खाते से लिंक था। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर तो केवल यह आक्षेप है कि उसने अपने बैंक खाते के उपयोग के बदले कमीशन प्राप्त किया था। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 26.3.2026 से निरन्तर अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। उसके विरूद्ध जो आरोप विरचित किए गये हैं ,वह भी केवल उसके द्वारा कमीशन प्राप्त करने के सम्बन्ध में है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाये।

उनका यह भी तर्क है कि इस न्यायालय के समकक्ष पीठ तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ऐसे मामलों में जहॉ अभियुक्त का साईबर ठगी से सीधा सम्बन्ध नहीं था और उसका बैंक खाता साईबर ठगी के लिए कमीशन पर देकर उपयोग में लिया जा रहा था, उन्हें जमानत पर मुक्त किया गया है। अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किए गये :–

1- Madan Keshav Vs. State of Rajasthan
2026 SCC OnLine Raj 3795

2- Bipin Kumar Vs. State of Rajasthan
2025 SCC OnLine Raj 6754

3- Mohd. Rasool Vs. State of Rajasthan
SLP (Crl.) No. 1151 of 2026
Order Dated 18-3-2026

4- Rakesh Alias Amit Vs. State of Rajasthan
S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 14985/2025
Order Dated 6-4-2026

उक्त तर्कों के विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभ्युक्त द्वारा उपलब्ध करवाये गये म्यूल खाते के समबन्ध में समन्वय पोर्टल पर 7 शिकायतें हैं तथा सम्पूर्ण साईबर ठगी की राशि 5,40,06,4597/–में से 1,05,16,350/– रूपये की राशि प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में प्राप्त हुई थी। प्रार्थी ने अपना उक्त खाता यह जानते हुए कि यह खाता साईबर ठगी के लिए उपयोग में लिया जायेगा, स्वयं सहअभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शंटी को दिया है तथा उसके बदले में उसने कमीशन के रूप में लाभ प्राप्त किया है। गंभीर अपराध है। उसे जमानत पर मुक्त नहीं किया जाये।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त पर अपराध अन्तर्गत धारा 317(2) (4), 318(2) (4), 112 (2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66, 66–डी आई.टी.एक्ट का अभियोग है। प्रार्थी/अभियुक्त पर आक्षेप है कि उसने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाया तथा लोगों को आपराधिक षडयंत्र में फंसाकर उनके साथ साईबर ठगी की राशि विभिन्न खातों में प्राप्त की। उसके द्वारा अपना स्वयं का खाता भी इसी उद्देश्य के लिए प्रार्थी–अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शंटी को दिया गया और उसके बदले में कमीशन की राशि प्राप्त की गई। प्रार्थी–अभ्युक्त द्वारा उपलब्ध करवाये गये म्यूल खाते के विरूद्ध समन्वय पोर्टल पर 7 शिकायतें हैं तथा सम्पूर्ण साईबर ठगी की राशि 5,40,06,4597/–में से 1,05,16,350/– रूपये की राशि प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में प्राप्त हुई थी। उल्लेखनीय है कि स्वयं प्रार्थी/अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि उसके खाते में जो राशि प्राप्त हुई थी, वह उसने वापिस सहअभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शन्टी के खाते में अंतरित कर दी थी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह प्रकट हुआ है कि प्रार्थी/अभियुक्त साईबर ठगी के लिए गठित उक्त आपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य रहा है। अनुसंधान के उपरांत उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ है। वर्तमान में साईबर अपराध के मामलों में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है। प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में, समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

24/JITENDRA SINGH PANWAR